परिशिष्ट- 'क'

तुरन्त

संख्या: ई०डी०एन०-सी-एफ (10)-7/2010

हिमाचल प्रदेश सरकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

हिमाचल शिक्षा विभाग

प्रेषक

प्रधान सचिव (शिक्षा)

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा

हिमाचल प्रदेश शिमला-171 001

दिनांक शिमला-171 001

विषय: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्कूलों में ''बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009'' के अन्तर्गत स्कूल प्रबन्धन समिति के गठन हेतु प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र संख्या एच०पी०ई०एस० (एस०एस०ए०) -एच०ओ०/2009 (कम्युनिटि मोबलाईजशन) दिनांक-6-03-2010 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्कूलों में 'बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009' के अन्तर्गत स्कूल प्रबन्धन समिति के गठन में अपनी सहमति प्रदान कर दी है। जिसका ब्यौरा परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

उपरोक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाये तथा कृत कार्रवाई से .....

अवर सचिव (प्रा० शिक्षा)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हि० प्र० सरकार को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 25-2-2010 की (मद संख्या -7) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

अवर सचिव (प्रा० शिक्षा)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्कूलों में ''बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम -2009'' (35/2009) के अन्तर्गत स्कूल प्रबन्धन समिति का गठन (देखें हिमाचल प्रदेश सरकार पत्र संख्या ई.डी.एन.-सी.-एफ-(10)-7/2010 दिनांक 6.3.2010, परिशिष्ट-'क')

1. स्कूल प्रबन्धन समिति

बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009(35/2009) के अनुच्छेद 21 में दिए गए प्रावधान के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों तथा प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध तथा सरकार से सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में स्कूल प्रबन्धन समितियां गठित की जायेंगी।

2. स्कूल प्रबन्धन समिति के गठन के उद्देश्य

- बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित उपलब्धता नामांकन ठहराव एवं शैक्षिक उपलब्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- स्कूल प्रबन्धन में अभिभावकों व शिक्षकों की भागीदारी को सुदृढ़ करना।
- सरकार व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त स्कूल अनुदानों, सुविधाओं के उपयोग के निर्णय, कार्यान्वयन व अनुश्रवण हेतु अभिभावक-शिक्षक समुदाय को सशक्त करना।
- विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि स्तर में सुधार हेतु सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना।
- स्कूल विकास एवं प्रबन्धन हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए समुदाय में स्कूलों के प्रति स्वामित्व।

3. स्कूल प्रबन्धन समिति

स्कूल प्रबन्धन समिति में स्कूल में पढ़ रहे सभी छात्रों के अभिभावक / संरक्षक और इन स्कूलों में कार्यरत अध्यापक शामिल होंगे। चूंकि शिक्षक, अभिभावक तथा पंचायत / स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि स्कूल प्रबंधन समिति में शामिल होंगे, इसलिए प्रत्येक स्कूल के लिए अलग से ग्रामीण शिक्षा

समिति/मातृ/ अभिभावक –अध्यापक संघ का गठन नहीं किया जायेगा तथा वर्तमान में कार्यरत उपरोक्त संगठन, नव गठित स्कूल प्रबन्धन समिति के गठन उपरान्त कार्य करना बन्द कर देंगे। स्कूल प्रबन्धन समिति के निम्नलिखित दो मुख्य अंग होंगे–स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा तथा स्कूल प्रबन्धन समिति की कार्यकारी परिषद।

3.1 स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा

स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा में स्कूल में पढ़ रहे सभी छात्रों के अभिभावक और इन स्कूलों में कार्यरत अध्यापक शामिल होंगे। सम्बन्धित ग्राम पंचायत /स्थानीय निकाय के स्थानीय वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि सभा के पदेन सदस्य होंगे। प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र के समापन के उपरान्त उन अभिभावक सदस्यों की सदस्यता स्वत: समाप्त हो जायेगी जिनके बच्चे आश्रित स्कूल से शिक्षा पूर्ण करके स्कूल छोड़ चुके होंगे तथा स्कूल में नए दाखिल हुए बच्चों के अभिभावक स्वत: ही स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा के सदस्य बन जायेंगे।

3.1.1 स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने के उपरान्त अपनी पहली बैठक में अभिभावक सदस्यों में से एक अभिभावक को स्कूल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने के लिए निर्वाचित करेगी। इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होगा। कोई भी अभिभावक दोबारा अध्यक्ष निर्वाचित किया जा सकता है परन्तु उसका उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र का अभिभावक होना आवश्यक होगा। पंचायत पदाधिकारी/सदस्य स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा का अध्यक्ष उसी अवस्था में हो सकेगा जबकि वह स्कूल में अध्ययनरत किसी छात्र का अभिभावक हो।

3.1.2 स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें आयोजित कर सकती है। परन्तु वर्ष में निम्नलिखित तीन बैठकें आयोजित करना आवश्यक होगा। स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा की पहली बैठक स्कूलों में शिक्षा सत्र के आरम्भ होने के 15 दिनों के भीतर होगी, दूसरी बैठक 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित होगी तथा तीसरी बैठक शैक्षणिक सत्र समाप्त घोषित होने वाले दिन आयोजित की जायेगी। स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा किसी भी समय आवश्यतानुसार अपनी बैठक बुलाने का निर्णय ले सकती है, जिसके लिए कम से कम दस सदस्यों द्वारा बैठक बुलाने के लिए सदस्य सचिव को नोटिस देना आवयश्क होगा।

3.1.3 सामान्यत: स्कूल के मुख्याध्यापक व उनकी अनुपस्थिति में स्कूल में कार्यरत वरिष्ठतम अध्यापक, स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा के पदेन सदस्य सचिव होंगे। वह समिति की बैठकों से संबंधित रिकार्ड का रखरखाव करेंगे और बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप सुनिश्चित करेंगे।

3.1.4 स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा की बैठक में कम से कम बीस प्रतिशत अभिभावक / संरक्षक उपस्थित होने चाहिएं। स्कूल प्रबन्धन समिति की बैठकों का खर्च स्कूल अनुदान अथवा इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोष/मद से वहन किया जाएगा।

3.1.5 स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा समिति का वार्षिक बजट अनुमोदित करेगी तथा पिछले वर्ष में किए गए कार्यों व खर्च की समीक्षा भी करेगी। आम सभा अपनी बैठकों में विचार विमर्श / निर्णयों के लिए किसी भी एजेंडा आईटम को ले सकती है, जो स्कूल की कार्यप्रणाली सुधारने , स्कूल की विकास योजना को बनाने , स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान के उपयोग, अनुश्रवण और पूर्ण की गई बैठकों में लिए गए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित हों।

3.2 स्कूल प्रबन्धन समिति की कार्यकारी परिषद्

3.2.1 स्कूल से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने तथा आम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा द्वारा एक कार्यकारी परिषद् का गठन किया जायेगा। कार्यकारी परिषद् आम सभा द्वारा पारित बजट को खर्च करने के लिए पूर्णयता अधिकृत होगी तथा यह अपने कार्य के लिए आम सभा के प्रति उतरदायी होगी।

प्रत्येक पाठशाला परिसर में चाहे उसमें प्राथमिक, मिडल, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएँ, अलग-अलग अनुभाग / स्तर हों सभी अभिभावकों की एक ही आम सभा बनेगी। प्राथमिक शिक्षा एवं उसके बाद की कक्षाओं के सम्बन्ध में कार्यकारी परिषद् अलग होगी। चूंकि अधिकतर उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं एक ही प्रांगण में स्थित होती हैं, ऐसी स्थिति में सदस्य सचिव का कार्य सभी कक्षाओं के लिए सम्बन्धित प्राधानाचार्य/मुख्याध्यापक द्वारा ही देखा जायेगा।

वर्तमान निर्देश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अर्न्तगत स्कूल प्रबन्धन समितियों को स्थापित करने हेतु दिये गये पहले से जारी निर्देशों का स्थान लेंगे।

3.2.2 स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा के निर्वाचित अध्यक्ष व पदेन सदस्य सचिव कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष व सदस्य सचिव भी होंगे। सम्बन्धित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय के स्थानीय वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि भी कार्यकारी परिषद् के पदेन सदस्य होंगे। माध्यमिक स्कूल (कक्षा 6 से 8) की स्थिति में वार्ड प्रतिनिधि के स्थान पर संबन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान अथवा उप-प्रधान कार्यकारी परिषद् के पदेन सदस्य होंगे।

3.2.3 स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा शैक्षिणक सत्र आरम्भ होने के 15 दिन के भीतर अपनी प्रथम बैठक में अध्यक्ष व पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, अभिभावक सदस्यों में से कार्यकारी परिषद् के लिए निम्नलिखित सदस्यों का चुनाव करेगी।

60 अथवा कम छात्रों वाले स्कूलों में -4 निर्वाचित अभिभावक सदस्य।

61 व उससे अधिक छात्रों वाले स्कूलों में -6 निर्वाचित अभिभावक सदस्य। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त सदस्यों में 50 प्रतिशत महिलाएं हों तथा विशेष आवश्यकताओं वालो बच्चों/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति, अल्प संख्यक के बच्चों के अभिभावक यदि कार्यकारिणी में चुन कर नहीं आते तो ऐसी स्थिति में उन्हें विशेष तौर पर नामांकित किया जाएगा। स्कूल प्रबन्धन समिति किसी भी मामले में विचार-विमर्श /विशेषज्ञ परामर्श के लिए अतिरिक्त तौर पर किसी भी सदस्य को सहयोजित कर सकती है। (उदाहरण के तौर पर क्षेत्र के आंगनवाड़ी कर्मी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, क्षेत्र का कोई भी विख्यात शिक्षाविद्, क्षेत्र में कार्य कर रहा गैर सरकारी संगठन, युवक मंडल, महिला मंडल, स्कूल में कार्य कर रहा शिक्षक अथवा सेवानिवृत शिक्षक इत्यादि।) ये सदस्य स्कूल प्रबन्धन समिति में विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं परन्तु इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

3.2.4 कार्यकारी परिषद् स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा द्वारा सौंपे गए कार्यों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी जिसके लिए नियमित मासिक बैठकों का आयोजन किया जाऐगा। कार्यकारी परिषद् प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार (अवकाश होने पर प्रथम शुक्रवार) को मध्याहन् भोजन के उपरान्त बैठक का आयोजन अनिवार्य रूप से करेगी। इस प्रकार की प्रत्येक बैठक का खर्च स्कूल रख-रखाव अनुदान से व्यय किया जाएगा। कार्यवाही रजिस्टर का रख-रखाव सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा और उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में इसे रखा जाएगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा इसकी जांच के लिए इसे उपलब्ध करवाया जा सकता है।

3.2.5 कार्यकारी परिषद् का सदस्य सचिव बैठक की कार्यवाही को रजिस्टर में सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ, रिकार्ड रखेगा! निर्णयों के प्रमुख बिन्दुओं को स्कूल के नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित किया जाएगा।

यदि किसी कारणवश स्कूल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष बैठक की कार्यवाही हेतु उपलब्ध न हों तो कार्यकारी समिति अपने सदस्यों में से किसी एक को बैठक की कार्यवाही करने हेतु अस्थायी तौर पर अध्यक्ष नामित कर सकती है। नियमित अध्यक्ष के आने पर इस प्रकार की गई कार्यवाही नियमित अध्यक्ष के अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

4. स्कूल प्रबन्धन समिति की शक्तियाँ और कार्य:

स्कूल प्रबन्धन समिति अपनी कार्यकारी परिषद् के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करने के लिए प्राधिकृत होगी:-

4.1 शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सभी बच्चों के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा ड्रॉप आउट रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

4.2 विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में गुणात्मक सुधार के लिए कार्य करना और छात्रों के उपलब्धि स्तर का नियमित अनुश्रवण। सतत् समग्र मूल्यांकन प्रणाली केअनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन का अनुश्रवण तथा छात्र प्रगति कार्ड की अभिभावकों सहित समीक्षा तथा निदानात्मक शिक्षा हेतु पग उठाना।

4.3 स्कूल विकास योजना को तैयार कर लागू करना तथा उसका अनुश्रवण करना।

4.4 सरकार अथवा अन्य साधनों से प्राप्त अनुदान व आय का नियामानुसार उपयोग सुनिश्चित करना।

4.5 नि:शुल्क पुस्तकें, लेखन सामग्री, वर्दियाँ अथवा अनुदान व छात्रवृतियों को पात्र छात्रों को समय पर उपलब्ध करवाना।

4.6 मध्याहन् भोजन योजना का कार्यान्वयन, व अनुश्रवण तथा भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।

4.7 स्कूल के बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल और समुचित शौचालय सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा स्कूल परिक्षेत्र और शौचालयों की नियमित सफाई व रख रखाव के लिए आवश्यक पग उठाना।

4.8 विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आयोजन करना तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड बनवाना।

4.9 नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में दिए गए प्रावाधानों की अनुपालना सुनिश्चित करना।.

4.10 छात्रों एवं अध्यापकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। स्कूल प्रबन्धन समिति को अधिकार होगा कि वह अध्यापकों की अनुपस्थिति अथवा समयबद्धता न अपनाने के दृष्टान्तों को केन्द्रीय मुख्य शिक्षक / खण्ड अधिकारी के ध्यान में लाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध करें। केन्द्रीय मुख्य शिक्षक व खण्ड शिक्षा अधिकारी इस अनुरोध पर आवश्यक कार्यवाही करके संबंधित मुख्य उप-शिक्षा निदेशक को सूचित करेंगे। यदि आम सभा में बहुमत द्वारा या कार्यकारी परिषद् में दो-तिहाई बहुमत से इस सन्दर्भ में कोई संस्तुति की जाती है तो विभागीय अधिकारी परिषद् उस पर समयबद्ध कार्यवाही हेतु बाध्य होंगे।

4.11 स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा यदि किसी अध्यापक के स्कूल व छात्रों के विकास में विशेष योगदान की प्रशंसा कर शैक्षणिक सत्र की अन्तिम बैठक में यह संस्तुति करती है कि उसका तबादला न किया जाए तथा आम सभा यह प्रस्ताव उप-निदेशक प्रारम्भिक को भेजती है तो उस अध्यापक का अगले एक सत्र तक तबादला उस स्कूल से नहीं किया जाऐगा। इसी प्रकार स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा यदि किसी अध्यापक के कार्य से सन्तुष्ट नहीं है तथा उस अध्यापक का तबादला किया जा सकता है। इस तरह के मामले परीक्षा परिणाम आने के बाद होने वाली बैठक में ही लिए जा सकते हैं, उसके अलावा किसी बैठक में ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकेंगे।

4.12 स्कूल प्रबन्धन समिति अंशकालिक व अनुबन्ध कर्मचारियों के कार्य की वार्षिक समीक्षा भी करेगी तथा अनुबन्ध का नवीनीकरण समिति की सिफारिश पर किया जायेगा।

4.13 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान करवाकर उन्हें एकीकृत शिक्षा के दायरे में लाना।

4.14 स्कूल में आयोजित सह-शैक्षिक कार्यक्रमों, बाल मेलों, विज्ञान प्रतियोगिताओं तथा खेलों में सहयोग देना एवं समुदाय की भागीदारी बढ़ाना।

4.15 बजट उपलब्धता के अनुरूप स्कूल के लिए विभिन्न प्रकार की खरीद करना उदाहरणत: शिक्षण अधिगम सामग्री (टी.एल.एम), फर्नीचर, स्टेशनरी और स्कूल के लिए आवश्यक सामान, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, सरकारी योजनाओं के अनुरूप विद्यार्थियों के लिए लेखन सामग्री, विभिन्न प्रकार की किट, स्कूल की वर्दी, कम्प्यूटर और इससे सम्बन्धित उपकरण इत्यादि।

4.16 स्कूल भवन व अन्य सुविधाओं का निर्माण अथवा मुरम्मत कार्य करना अथवा करवाना, स्कूल प्रबन्धन समिति के कार्यक्षेत्र में होगा कि वह विभाग के निर्देशानुसार निर्माण अथवा मुरम्मत का कार्य स्वयं करें अथवा करवाएं। इसके लिए एक उप समिति का गठन किया जा सकता है अथवा स्कूल प्रबन्धन समिति इसके लिए योग्य संस्था/पंचायत से भी अनुबन्ध कर सकती है।

4.17 वार्षिक स्कूल अनुदान तथा रख-रखाव अनुदान का नियामानुसार उपयोग भी स्कूल प्रबन्धन समिति के माध्यम से किया जाऐगा।

4.18 विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रवृति विकसित करने के लिए स्कूल में पुस्कालय का समुचित उपयोग करवाना।

4.19 यदि आवश्यक हो तो सरकार की नीति के अनुसार अंशकालिक/ अनुबंध अध्यापकों का चयन व प्रबन्धन करना परन्तु स्कूल प्रबन्धन समिति को प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के बिना किसी भी अंशकालिक / अनुबन्ध कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा।

4.20 स्कूल प्रबन्धन समिति की वार्षिक रिपोर्ट को आम सभा में प्रस्तुत करना तथा उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत तथा केन्द्रीय मुख्य शिक्षक को उपलब्ध करवाना।

4.21 सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कार्यों को करना।

5. स्कूल प्रबन्धन समिति के वित्तीय संसाधन

5.1 स्कूल प्रबन्धन समिति के वित्तीय संसाधन निम्न स्त्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं:-

5.11 सरकार से प्राप्त अनुदान, स्कूल अनुदान, रखरखाव अनुदान, सहायता अनुदान भवन निर्माण राशि अथवा सरकार द्वारा किए गए अन्य बजट आबंटन।

5.12 गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों से प्राप्त अनुदान।

5.13 अभिभावकों/ समुदाय सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक अनुदान।

5.14 मेलों अथवा अन्य सामुदायिक प्रयोजनों के लिए स्कूल परिसर के उपयोग की फीस राशि।

5.15 स्कूल प्रबन्धन समिति की निधि का बैंक खाता अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षराधीन खोला जाएगा व संचालित होगा। प्रथम वार्षिक बैठक के उपरान्त अध्यक्ष के बदले जाने पर नए अध्यक्ष के हस्ताक्षर बैंक को सूचित किए जायेंगे।

5.16 वार्षिक बजट आम सभा द्वारा पारित होगा तथा कार्यकारी परिषद् को बजट प्रावधानों के अनुसार खर्च का पूरा अधिकार होगा। प्राप्त अनुदान का रिकार्ड नियमानुसार रखा जाएगा।

5.17 खर्च का वार्षिक लेखा-जोखा आम सभा की बैठक के समक्ष सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तथा सोशल ऑडिट तथा सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा ऑडिट के लिए उपलब्ध होगा।

6. प्रशिक्षण

6.1 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जायेगा ताकि उनकी क्षमताओं का स्कूल के प्रबन्धन में अधिकाधिक उपयोग किया जा सके।

7. प्रोत्साहन

7.1 प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली स्कूल प्रबन्धन समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एक प्रोत्साहन योजना बनायेगा तथा इन समितियों को खण्ड व जिला स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

8. विविध

8.1 प्रदेश सरकार को अधिकार होगा कि वह समय-समय पर स्कूल प्रबन्धन समिति के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकें।

8.2 स्कूल प्रबन्धन समिति अधिसूचित होने के उपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चल रहे स्कूलों में कार्यरत ग्रामीण शिक्षा समितियां/ मातृ-अध्यापक संघ या अभिभावक अध्यापक संघ स्कूल प्रबन्धन समिति के गठन के उपरान्त कार्य करना बन्द कर देंगे तथा इनके द्वारा किए जा रहे कार्य स्कूल प्रबन्धन समिति द्वारा किए जायेंगे।